

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट-बड़ासी, देहरादून।

संख्या 13 /मु0ख0/128/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/2017-18,

दिनांक 01 अक्टूबर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री शंकर सिंह दफौटी पुत्र श्री कौशल सिंह दफौटी, निवासी ग्राम सिमतोली तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1096/VII-A-1/2021/237 ख/01 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा ग्राम बिनतोली, तहसील व जिला बागेश्वर में आशय पत्र पर स्वीकृत 08.885 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर सीमांकित 8.885 है0 क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज- मार्निंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्तर- 3 (दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आर0क्यू0पी0 श्री भुवन जोशी रजिस्ट्रेशन संख्या मु0ख0/आर0क्यू0पी0/डी0डी0एन0/01/2016 द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैकनाइज्ड मार्निंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 13326 टन, द्वितीय वर्ष में 17264 टन, तृतीय वर्ष में 20543 टन, चतुर्थ वर्ष में 28136 टन एवं पंचम वर्ष में 33843 टन के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

शर्त/प्रतिबन्ध:-

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत माइनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 संख्या 1096/VII-A-1/2021/237 ख/01 दिनांक 01.10.2021 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या-4 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं0 1621/VII-1/212-ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6. कार्यालय ज्ञाप सं0 संख्या 1096/VII-A-1/2021/237 ख/01 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन आशय पत्र निर्गत दिनांक 01-10-2021 से अगामी 06 माह अर्थात 31-03-2022, तक की जानी है। किंतु पट्टाधारक द्वारा शर्तों की अनुपालना में विलम्ब हो होता है और शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेत्तर समयावधि नहीं बढ़ायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।

9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
10. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
11. प्रत्येक छः माह में खनन क्षेत्र की अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग के अनुसार शर्तों की अनुपालन आख्या जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जानी होगी।
12. व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।
13. खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होंगे।
16. खदान क्षेत्र में खान सुरक्षा निदेशालय, गाजियाबाद से खान प्रबन्धक की नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।
17. खदान क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों/श्रमिकों की सुरक्षा तथा अन्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
18. पट्टाधारक धात्विक खनन अधिनियम 1961, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं खान अधिनियम 1952 का अक्षरशः पालन करेगा।
19. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नक: खनन योजना
एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति।



(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

0/12

पृष्ठांकन संख्या: 13 / मु0ख0 / 128 / बागे0 / खनन / भू0खनि0ई0 / 2017-18, तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. श्री शंकर सिंह दफौटी पुत्र श्री कौशल सिंह दफौटी, निवासी ग्राम सिमतोली तहसील व जिला बागेश्वर।
6. आर0क्यू0पी0 श्री भुवन जोशी रजिस्ट्रेशन संख्या मु0ख0 / आर0क्यू0पी0 / डी0डी0एन0 / 01 / 2016


(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

0/12